

[2023] 3 एस.सी.आर 985

शाह नवाज़ खान व अन्य

बनाम

नागालैंड राज्य व अन्य

(सिविल अपील सं. 1497/2023)

फरवरी 28, 2023

[न्या. ऋषिकेश रॉय तथा न्या. दीपांकर दत्ता]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धाराएं 24, 25 —भारत का संविधान—अनुच्छेद 214, 231 — वाद —स्थानांतरण—अपीलार्थी-वादी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय (असम, नागालैंड और दो अन्य राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय) के समक्ष सी. पी. सी. के धारा 24 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें अपीलार्थी द्वारा जिला न्यायाधीश के न्यायालय, दीमापुर, नागालैंड की में दायर एक वाद को गुवाहाटी, असम में जिला न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देने के लिए कहा गया— उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण आवेदन को खारिज कर दिया—सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, मुद्दा था: क्या सर्वोच्च न्यायालय सी. पी. सी. की धारा 25 के संदर्भ में किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को एक राज्य के सिविल न्यायालय से दूसरे राज्य के सिविल न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की शक्ति का एकमात्र भंडार रखता है?या, क्या एक उच्च

न्यायालय के लिए, यदि यह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सामान उच्च न्यायालय है, के लिए सी. पी. सी. की धारा 24 के तहत स्थानांतरण के लिए एक आवेदन पर विचार करने और एक सिविल न्यायालय से किसी अन्य सिविल न्यायालय में एक वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को स्थानांतरित करने का विकल्प खुला है, जो दोनों ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं लेकिन विभिन्न राज्यों में स्थित हैं जिनके संबंध में वह विचार और निर्णय के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है—अभिनिर्धारित किया गया: सी. पी. सी. की धारा 25 की एक सही और उचित व्याख्या से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के अंतर-राज्यीय स्थानांतरण पर लागू होती है, जहां दोनों राज्यों के पास संविधान के अनुच्छेद 214 के संदर्भ में एक उच्च न्यायालय है न की ऐसे स्थानांतरण जहां अनुच्छेद 231 के तहत दोनों राज्यों के पास एक समान उच्च न्यायालय है। सी.पी.सी की धारा 24 के तहत शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के अंतर-राज्यीय स्थानांतरण के लिए भी किया जा सकता है, यदि यह संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय है और दोनों सिविल न्यायालय (अंतरक तथा अंतरिती) इसके अधीनस्थ हैं—उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर दिया गया है—गुवाहाटी उच्च न्यायालय अब सी.पी.सी की धारा 24 के तहत आवेदन पर नये सिरे से निर्णय लेगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908—धाराएं 24, 25 —की व्याख्या— अभिनिर्धारित किया गया: धारा 25 की एक संकीर्ण व्याख्या, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जैसे किसी समान

उच्च न्यायालय द्वारा किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के स्थानांतरण के लिए धारा 24 के तहत एक आवेदन पर विचार को , उन चार राज्यों के बीच, जिनके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, एक भारी बोझ डाल सकता है और पूर्वोत्तर के दूर-दराज के क्षेत्रों के वादकारियों के लिए एक दुर्गम बाधा उत्पन्न हो सकती है, यदि उन्होंने इस आधार पर इस तरह के स्थानांतरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि जिस सिविल न्यायालय में इसे स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, वह उस राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में है जिसमें वाद स्थापित किया गया है।

कानूनों की व्याख्या-उस कानून की व्याख्या जो रिष्टि को दूर करने का प्रयास करती है, जो संविधान के अनुरूप है और संवैधानिक उद्देश्यों को बढ़ावा देती है और जो राष्ट्र की आवश्यकताओं के सुसंगत है, उसे अपनाया जाना चाहिए।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया गया: 1. सी.पी.सी. की धारा 24 'स्थानांतरण और वापसी' की एक सामान्य शक्ति है जो उच्च न्यायालयों द्वारा किसी भी स्तर पर बिना किसी सूचना के या नोटिस के बाद किसी भी पक्षकारगण के आवेदन पर स्वप्रेरणा संज्ञान लेने में सक्षम है, जबकि धारा 25 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पक्षकारगण के आवेदन पर और नोटिस के बाद, उसमें बताए गए न्यायालयों से वादों आदि को स्थानांतरित करने की अनन्य शक्ति प्रदान करती है। जबकि धारा 24 सामान्य कानून का हिस्सा है, धारा 25 विशेष कानून है। कानून सुव्यवस्थित है, और अमरेंद्र प्रताप

सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति में निर्णय का उल्लेख करते हुए हम लाभप्रद रूप से कह सकते हैं कि एक सामान्य कानून किसी विशेष कानून के प्रावधानों को उस सीमा तक पराजित नहीं कर सकता है जिस सीमा तक वे विरोधाभास में हैं; अन्यथा, दोनों प्रावधानों को समरूप पठन द्वारा मिलान करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए, जिसे देखने और सराहना करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या सामान्य कानून (धारा 24) और विशेष कानून (धारा 25) के बीच कोई संघर्ष या विसंगति है जो पूर्व के लिए बाद वाले को स्वीकार करने के लिए है, और यह पता लगाने के लिए कि क्या उच्च न्यायालय के पास अभी भी सामान्य कानून के तहत अंतर-राज्यीय स्थानांतरण का आदेश देने का अधिकार क्षेत्र है, भले ही विशेष कानून उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरण की ऐसी शक्ति प्रदान करता हो। सूत्रवाक्य 'साधारण कथन विशेष स्थान का अल्पीकरण नहीं करते' के लागू होने के लिए दोनों के मध्य एक विसंगति व्याप्त होना आवश्यक है। 1976 में सी. पी. सी. की धारा 25 के संशोधन के अनुसरण में उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र, यद्यपि विशेष हैं, धारा 24 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान टकराव में नहीं आ सकता है और धारा 25 को विफल कर सकता है, यदि अधिकार क्षेत्र अभी भी किसी दिए गए मामले में पूर्व के तहत उत्तरार्ध से हिंसा किए बिना प्रयोग करने के लिए उपलब्ध पाया जाता है। [पैरा 37] [1006-ज; 1007-क, घ-छ]

2. एक उच्च न्यायालय—चाहे वह बड़ा हो या छोटा, पुराना हो या नया—उतना ही संवैधानिक न्यायालय है जितना

कि यह न्यायालय है और कानून द्वारा निहित व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 25 के तहत शक्ति एक विशेष शक्ति है, लेकिन सामान्य उच्च न्यायालय सी.पी.सी. की धारा 24 को इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए जैसे कि धारा 25 के तहत अंतर-राज्यीय स्थानांतरण का आदेश देने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति अंतर-राज्यीय स्थानांतरण के सभी मामलों में उसके द्वारा विशेष रूप से प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है, जिससे देश के समान उच्च न्यायालयों को केवल अंतर-राज्यीय स्थानांतरण की भागीदारी के संदर्भ में उनकी अधिकार क्षेत्र से वंचित किया जाता है और इससे अधिक कुछ भी नहीं देखा जाता है। [पैरा 42] [1009-छ-ज; 1010-क-ख]

3. इस न्यायालय की राय में, सी. पी. सी. की धारा 25 का अर्थ लगाने के लिए एक दृष्टिकोण न्यायोचित, व्यावहारिक, उचित और यथार्थवादी होना चाहिए। धारा 25 का कोई भी अर्थान्वयन जो "न्याय तक पहुँच" में बाधा डालेगा, जिसे मौलिक अधिकार माना जाता है, उसे त्यागना होगा। धारा 25 की एक संकीर्ण व्याख्या, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जैसे किसी समान उच्च न्यायालय द्वारा किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के स्थानांतरण के लिए धारा 24 के तहत एक आवेदन पर विचार को, उन चार राज्यों के बीच, जिनके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, एक भारी बोझ डाल सकता है और पूर्वोत्तर के दूर-दराज के क्षेत्रों के वादकारियों के लिए एक दुर्गम बाधा उत्पन्न हो सकती है, यदि उन्होंने इस आधार पर इस तरह के स्थानांतरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि जिस सिविल न्यायालय में इसे

स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, वह उस राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में है जिसमें वाद स्थापित किया गया है। कानून की व्याख्या जो रिष्टि को दूर करने का प्रयास करती है, जो संविधान के अनुरूप है और संवैधानिक उद्देश्यों को बढ़ावा देती है और जो राष्ट्र की आवश्यकताओं के सुसंगत हैं , उसे अपनाया जाना चाहिए। यदि "न्याय तक पहुँच" को वास्तविक बनाना है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय, संविधान और कानूनों द्वारा गारंटीकृत लोगों के अधिकारों के सर्वोच्च संरक्षकों/आश्रयदाता की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, कि वे संहिता की धारा 25 के मूल भाग को एक ऐसी स्थिति में न लाएं जो "न्याय तक पहुँच" को वास्तविक बनाने की पहल को विफल कर दे। [पैरा 46] [1012-ग-च]

4. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे का उत्तर इस निष्कर्ष पर दिया जाता है कि:

- (i) सी.पी.सी. की धारा 25 की सही और उचित व्याख्या हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि यह किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के अंतर-राज्य स्थानांतरण पर लागू होती है, जहां दोनों राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 214 के संदर्भ में एक उच्च न्यायालय है, न कि उस स्थानांतरण पर जहां दोनों राज्यों के अनुच्छेद 231 के तहत एक समान उच्च न्यायालय है; और
- (ii) सी. पी. सी. की धारा 24 के तहत शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के अंतर-राज्य स्थानांतरण के लिए भी किया जा सकता है, यदि यह संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत दो या दो

से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय है और दोनों सिविल न्यायालय (अंतरक तथा अंतरिती) इसके अधीनस्थ हैं। [पैरा 48] [1013-क-घ]

दुर्गेश शर्मा बनाम जयश्री (2008) 9 एस.सी.सी. 648: [2008] 13 एससीआर 1056 -विशेष रूप से ।

डी. साईबाबा बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया व अन्य (2003) 6 एससीसी 186 : [2003] 3 एस.सी.आर. 1209; *अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति* (2004) 10 एस.सी.सी. 65 : [2003] 6 पूरक एस.सी.आर. 42 - से संदर्भित।

पोमी सेनगुप्ता बनाम विश्वजीत सेनगुप्ता (2015) 6 जी.एल.आर. 396; *मेघा जैन बनाम कार्तिक जैन* (2019) 6 जी.एल.आर. 379; *चलसानी दीप्ति बनाम चलसानी कृष्ण चैतन्य* 2015 एस.सी.सी. ऑनलाइन हैदराबाद 978; *आइरीन ब्लेंच खेरा बनाम ग्लेन जॉन विजय* 2018 (6) एम.एच. एलजे. 199 – से संदर्भित

पृष्ठ 131 पर 'वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों' का 12वां संस्करण (पैरा 6 (ड))

निर्णयज विधि संदर्भ

[2008] 13 एससीआर 1056 विशेष रूप से पैरा 4

[2003] 3 एससीआर 1209 से संदर्भित पैरा 6(छ)

[2003] 6 पूरक एससीआर 42 से संदर्भित पैरा 37

सिविल अपील/मूल क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं.
1497/2023

टी.आर सं. 68/2015 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के
दिनांकित 10.12.2015 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

स्थानांतरण याचिका (सी) सं. 307/2016

पार्थिव के. गोस्वामी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री रागिनी पांडे,
सुश्री अतिगा सिंह, सुश्री दीक्षा राय, अपीलार्थीगण के लिए
अधिवक्तागण ।

के.एन. बालगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री के. एनाटोली
सेमा, सुश्री लिमायिनला जमीर, अमित कुमार सिंह, सुश्री
चुबलेमला चांग, प्रांग न्यूमाई, विवेक नारायण शर्मा, सुश्री
महिमा भारद्वाज, सुश्री लक्ष भवनानी, प्रांशु कौशा, शुभम
अवस्थी, राजीव कुमार झा, राम कुमार, प्रत्यर्थीगण के लिए
अधिवक्तागण ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया न्या.
दीपांकर दत्ता,

1. अनुमति प्रदान की गई ।

मुद्रा

2. स्पष्ट रूप से विधिसम्मत तथा नवीन ,एक मुद्दा, निर्णय के लिए उभरता है। यह इस मायने में नवीन है कि यद्यपि देश के तीन अलग-अलग उच्च न्यायालयों ने ऐसे विचार लिए हैं जो पूरी तरह से सुसंगत हैं, सिवाय गुवाहाटी उच्च न्यायालय की चुनौती के तहत निर्णय और आदेश में लिए गए दृष्टिकोण के, जो निहित रूप से उसी उच्च न्यायालय की एक बृहद पीठ द्वारा उलट दिया गया है, इस न्यायालय को अब तक इस तरह के मुद्दे से निपटने और किसी भी तरह से निर्णय लेने का अवसर नहीं मिला होगा।

3. संक्षेप में कहें तो मुद्दा यह है:

क्या उच्चतम न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 (संक्षिप्तता के लिए 'सी. पी. सी.') के संदर्भ में किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को एक राज्य के सिविल न्यायालय से दूसरे राज्य के सिविल न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की शक्ति का एकमात्र भंडार है? अथवा, क्या उच्च न्यायालय, यदि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय है, के लिए सी. पी. सी. की धारा 24 के तहत स्थानांतरण के लिए एक आवेदन पर विचार करने और एक सिविल न्यायालय से किसी अन्य सिविल न्यायालय में वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को स्थानांतरित करने का विकल्प खुला है, जो दोनों ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, जिनके संबंध में विचार के लिए यह अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है ?

तथ्य और चुनौती के तहत आदेश

4. इस अपील को प्रस्तुत करने वाले तथ्यों से पता चलता है कि अपीलार्थीगण ने अधिकार, स्वामित्व और हित की घोषणा के लिए एक वाद दायर किया है साथ ही 2007 में किसी समय दीमापुर, नागालैंड में जिला न्यायाधीश की अदालत में स्थायी निषेधाज्ञा और हर्जाने के लिए, वाद में निजी प्रतिवादीगण द्वारा बनाई गई शत्रुतापूर्ण परिस्थितियों के कारण कथित रूप से सही तरीके से वाद चलाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप तीन मौकों पर उसे बर्खास्त और बहाल किया गया। दीमापुर में वाद के अभियोजन को जारी रखना उनके लिए असंभव क्यों हैं, यह अभिवाक करते हुए अपीलार्थीगण ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष सी. पी. सी. की धारा 24 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें मामले को गुवाहाटी, असम के जिला न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देने के लिए कहा गया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश, जो वर्तमान में असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए उभयनिष्ठ उच्च न्यायालय है, ने गुवाहाटी में मुख्य पीठ की अध्यक्षता करते हुए 10 दिसंबर, 2015 के एक निर्णय और आदेश द्वारा स्थानांतरण के लिए आवेदन को खारिज कर दिया। इस तरह अस्वीकार करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने पोमी सेनगुसा बनाम विश्वजीत सेनगुसा में अपने पिछले निर्णय का पालन किया, जो बदले में, पूर्ण रूप से दुर्गेश शर्मा बनाम जयश्री में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भर था। सी.पी.सी. की धारा 24 के

तहत आवेदन के निर्णय और अस्वीकृति के आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई है।

5. अपीलार्थीगण ने बहुत सावधानी बरतते हुए सी. पी. सी. की धारा 25 के तहत इस न्यायालय के समक्ष भी उसी राहत के लिए आवेदन किया है जिसकी विद्वान न्यायाधीश ने अनुमति नहीं दी थी।

अपीलार्थीगण की दलीलें

6. अपील के समर्थन में पेश होते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोस्वामी ने तर्क दिया कि:

क. भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 में आदेश दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 232 में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है।

ख. वर्तमान विवाद पर निर्णय के उद्देश्य के लिए सी. पी. सी. के प्रासंगिक प्रावधान धारा 3 के साथ सहपठित धाराएँ 22 से 25 हैं, जो न्यायालयों के अधीनता से संबंधित हैं।

ग. उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों की कार्यवाही के हस्तांतरण का निर्देश देने की शक्ति सी. पी. सी. की धारा 24 में प्रदान की गई है।

घ. तत्काल मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से धारा 24 सी. पी. सी. के सभी घटकों को संतुष्ट करते हैं, विशेष रूप से, इसकी उप-धारा (1) के धारा (ख) के उप-खंड (ii)।

ऐसे प्रावधान 24 के अवलोकन से पता चलता है कि उच्च न्यायालय, किसी भी स्तर पर, अपने समक्ष लंबित कार्यवाहियों को अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय को स्थानांतरित करने का निर्देश दे सकता है, या अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित कार्यवाहियों को अपने या अपने अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय को स्थानांतरित कर सकता है। इस प्रकार, उक्त प्रावधान के तहत जोर *"इसके अधीनस्थ न्यायालय"* अभिव्यक्ति पर है। सी.पी.सी. की धारा 3, अन्य बातों के साथ साथ, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों को परिभाषित करती है। इस प्रकार, सी.पी.सी. की धारा 24 के एक सामान्य पठन पर, यह स्पष्ट है कि समान उच्च न्यायालय, अर्थात् गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पास कार्यवाही के अंतर-राज्य स्थानांतरण का निर्देश देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है, बशर्ते कि अंतरक और अंतरिती दोनों न्यायालय इसके अधीनस्थ हों, और इसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में आते हों, जो यहां मामला है।

ड. सी.पी.सी. की धारा 24 और धारा 25 के सामंजस्यपूर्ण निर्माण पर, यह स्पष्ट है कि बाद वाला केवल दो राज्यों के बीच कार्यवाही के अंतर-राज्य स्थानांतरण पर लागू होगा, जहां विचारधीन दोनों राज्यों के अलग-अलग उच्च न्यायालय हैं, जबकि, एक समान उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर कार्यवाही के अंतर-राज्य स्थानांतरण से जुड़े मामले में, समान उच्च न्यायालय को सी. पी. सी. की धारा 24 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, ऊपर बताई गई

प्रकृति की कार्यवाही के अंतर-राज्य स्थानांतरण का निर्देश देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र होगा।

च. यह विधि की स्थापित प्रतिपादनाएँ हैं कि किसी प्रावधान का अर्थ लगाने में, किसी प्रावधान की विशेष व्याख्या पर पड़ने वाले परिणाम एक प्रासंगिक विचार है। न्यायाधीश जी. पी. सिंह ने अपने आलेख में इस प्रकार टिप्पणी की है:

4. परिणामों के सम्बन्ध में

यदि प्रयुक्त भाषा , एक से अधिक अर्थान्वयनों की सुनवाई में सक्षम हैं , तो सही अर्थ का चयन करते समय वैकल्पिक अर्थान्वयनों को अपनाने के परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों पर ध्यान देना चाहिए / एक ऐसा अर्थान्वयन जिसके परिणामस्वरूप कठिनाई, गंभीर असुविधा, अन्याय, असंगति ,या अर्थहीनता होती है या जो प्रणाली में अर्थहीनता या अनिश्चितता और घर्षण की ओर ले जाती है, जिसे अधिनियम विनियमित करने का इरादा रखता है, उसे अस्वीकार करना होगा और उस अर्थान्वयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो ऐसे परिणामों से बचता है।

छ. इस अवलोकन को उच्चतम न्यायालय द्वारा डी. साईबाबा बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया भारत व अन्य मामले में अपने निर्णय के पैरा 17 में अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था।

ज. इसलिए, उपरोक्त अवलोकन अपीलार्थीगण के निवेदन को भी उतना ही समर्थन देगा जितना कि समान उच्च

न्यायालय के क्षेत्र के भीतर मुवक्किलगण के लिए स्थानांतरण की मांग के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय का रुख करना अधिक सुविधाजनक होगा।

7. श्री गोस्वामी ने तीन अन्य निर्णयों का भी हवाला दिया। पहला मेघा जैन बनाम कार्तिक जैन में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बृहद पीठ का निर्णय है। इस निर्णय ने पोमी सेनगुप्ता (उपरोक्त) को उलट दिया, जिस पर आक्षेपित निर्णय और आदेश पूर्व निर्धारित किया गया है। दूसरा चलसानी दीप्ति बनाम चलसानी कृष्ण चैतन्य में (अविभाजित) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय है और अंत में आइरीन ब्लैच खेरा बनाम ग्लेन जॉन विजय ' में बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय है ।

8. श्री गोस्वामी ने अपने उपरोक्त निवेदनों के आधार पर हमसे आग्रह किया कि हम चुनौती के तहत आदेश को दरकिनार कर दें और सी. पी. सी. की धारा 24 के तहत अपीलार्थीगण के आवेदन पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भेज दें। वैकल्पिक रूप में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि धारा 25 के तहत आवेदन पर हम अपने गुणागुण के आधार पर विचार कर सकते हैं।

1 से 3 तक के प्रत्यर्थीगण की दलीलें

9. अपील का विरोध करते हुए, नागालैंड राज्य और उसके अधिकारियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालगोपाल ने निम्नलिखित तर्क दिया:

क. सी. पी. सी. की धारा 25 की तुलना में धारा 24 के परिधि और दायरे के संबंध में एक संक्षिप्त मुद्दा इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान मामले में उन विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए उत्पन्न हुआ है जिनमें दो राज्य एक समान उच्च न्यायालय साझा करते हैं जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 232 के तहत प्रदान किया गया है।

ख. सी. पी. सी की धारा 24 (1) (ख) उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में लंबित किसी भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को वापस लेने और उसे अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में परीक्षण या निपटान के लिए स्थानांतरित करने की शक्ति देता है जो इसका परीक्षण करने या निपटान करने के लिए सक्षम है। चूंकि नागालैंड राज्य में एक अलग उच्च न्यायालय नहीं है, इसलिए नागालैंड राज्य में काम करने वाले सभी न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, जो असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय है।

ग. हालांकि, यह समझने के लिए कि क्या समान उच्च न्यायालय के पास किसी भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को वापस लेने की शक्ति है एक राज्य से उसके अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित रहने और उसे दूसरे राज्य में उसके अधीनस्थ किसी भी न्यायालय को स्थानांतरित करने के लिए, संहिता की धारा 24 और 25 दोनों के प्रावधानों की जांच करनी

होगी क्योंकि इसमें अंतरराज्यीय स्थानांतरण शामिल है न कि अंतर्राज्यीय स्थानांतरण सिद्धांत ।

घ. धारा 25 (1) के प्रावधानों के वास्तविक महत्व और अर्थ को समझने के लिए , उक्त प्रावधान को दो भागों में पढ़ना होगा क्योंकि इसमें किसी भी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही को स्थानांतरित करने का निर्देश देने की दो गुना शक्ति है:

- i. एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में; या
- ii. एक राज्य में एक सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य में दूसरे सिविल न्यायालय तक।

यह व्याख्या दुर्गेश शर्मा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी से प्रमाणित होती हैं

ड. सी.पी.सी. में धारा 25 एकमात्र प्रावधान है, जो एक मामले को एक राज्य के सिविल न्यायालय से दूसरे राज्य के सिविल न्यायालय में स्थानांतरित करने को संदर्भित करता है। संयोग से, अपीलार्थीगण स्वयं इस राहत की मांग कर रहे हैं।

च. 1 अप्रैल, 1976 को पारित नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1974 की संयुक्त समिति, लोकसभा की रिपोर्ट से पता चलता है कि यह मुद्दा पूर्वोत्तर राज्यों में से एक, यानी मेघालय राज्य द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र की धारा 24 और 25 के बीच संघर्ष के संबंध में उठाया गया था और कार्यवृत्त पढ़ने से पता चलता है कि

समिति ने इस मुद्दे पर गौर करने का आश्वासन दिया था।

छ. सी. पी. सी. की धारा 25 (1) में विशिष्ट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, यह केवल सर्वोच्च न्यायालय है और कोई अन्य न्यायालय नहीं है जिसके पास अपीलार्थीगण द्वारा दायर दीमापुर, नागालैंड में सिविल न्यायालय से गुवाहाटी, असम में सिविल न्यायालय को स्थानांतरित करने का निर्देश देने की शक्ति है, यदि इसके लिए कोई भी आधार स्थापित किया गया है।

10. उपरोक्त दलीलों को ध्यान में रखते हुए, श्री बालगोपाल द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसे बरकरार रखा जाना चाहिए।

प्रत्यर्थीगण 4 और 5 के तर्क

11. प्रत्यर्थीगण 4 और 5 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री शर्मा ने निम्नलिखित तर्क दिए:

क. सी. पी. सी. की धारा 24 के संदर्भ में किसी भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के अंतरराज्य स्थानांतरण को प्रभावी बनाने की शक्ति उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऐसी शक्ति स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से इसकी धारा 25 में प्रदान की गई है, जिसका प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

ख. दुर्गेश शर्मा (उपरोक्त) पर अपीलार्थीगण के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा रखा गया भरोसा अनुपयुक्त

है क्योंकि वह मामला अलग हुआ है। यह प्रस्तुत करना अतिसामान्य है कि इस तरह के अवलोकन को सबसे अच्छे इतिरोक्ति के रूप में माना जा सकता है । (इसे न्यायालय में या लिखित में कही गई किसी न्यायाधीश की राय की अभिव्यक्ति की समान टिप्पणी के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है और इसलिए एक आधिकारिक निर्णय के रूप में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।

ग. जो भी हो, इस न्यायालय द्वारा दुर्गेश शर्मा (उपरोक्त) के पैरा 57 में जो अभिनिर्धारित किया गया है, वह अपीलार्थीगण की ओर से आग्रह किए जाने वाले बिंदु को रद्द कर देता है।

घ. मेघा जैन (उपरोक्त) मामले में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खण्ड है पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि उसे सी. पी. सी. की धारा 24 के साथ सहपठित धारा 23 (1) और/या उसकी धारा 23 (2) के साथ किसी वाद, अपील या किसी अन्य कार्यवाही को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले चार राज्यों में से किसी एक में विचारण के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार क्षेत्र है। मेघा जैन ((उपरोक्त) के पैराग्राफ 9 में, सी. पी. सी. की धारा 24 (1) (क) का इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संदर्भ दिया गया है कि उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, किसी भी स्तर पर, अपने समक्ष लंबित किसी भी वाद आदि को अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय को स्थानांतरित कर

सकता है और एक राज्य से चार राज्यों में से किसी में स्थानांतरण की मांग करने वाली स्थानांतरण याचिका उसके तहत बनाए रखी जाएगी। उपरोक्त निष्कर्ष कानून की सही व्याख्या नहीं है। सी. पी. सी. की धाराएँ 22 से 24 और इसकी धारा 25 सी. पी. सी. के भीतर दो अलग-अलग संहिताएँ हैं और उस क्षेत्र के संबंध में कोई अतिव्यापी नहीं है जहां संहिताओं के ये दो सेट काम करते हैं।

ड. सी.पी.सी. की धारा 22 के एक सादे पठन से पता चलता है कि इसके अंतिम में आने वाले "कई न्यायालय" शब्दों को धारा 23 में जारी रखा गया है, जबकि धारा 22 और 25 या धारा 23 और 25 के बीच ऐसा कोई संबंध मौजूद नहीं है। इसलिए, धारा 25 के साथ धारा 23 का अनुप्रयोग पूरी तरह से दोषपूर्ण प्रतीत होता है। इसके अलावा, धारा 24 के तहत शक्ति के प्रयोग के संबंध में, उक्त शक्ति जिला न्यायालय को भी उपलब्ध कराई गई है, जो यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट करता है कि धारा 24 के तहत शक्ति केवल धारा 22 और 23 की निरंतरता है।

च. इसके अलावा, धारा 22 के तहत वाद के स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, "(डब्ल्यू) यहाँ एक वाद दो या दो से अधिक न्यायालयों में से किसी एक में स्थापित किया जा सकता है और ऐसे न्यायालयों में से एक में स्थापित किया जाता है।" और यह धारा 22 के तहत इस शक्ति को धारा 23 में इन उद्देश्यों के लिए समझाया गया है कि किस न्यायालय में

स्थानांतरण के लिए आवेदन हो सकता है। इसके अलावा, धारा 24 के तहत, आवेदन किए जाने के बाद, ऐसी शक्ति को समझाया गया है कि इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। इसलिए, धारा 22 में यह प्रावधान है कि वादों में से कौन सा, धारा 23 में यह प्रावधान है कि न्यायालयों में से कौन सा और धारा 24 में यह प्रावधान है कि इस तरह के स्थानांतरण कैसे किए जा सकते हैं।

छ. उपरोक्त के विपरीत, धारा 25 के तहत शक्ति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और धारा 22 से 24 में उसी तरह से इसका कोई उल्लेख नहीं है जैसा कि श्रेणीबद्ध और सटीक उल्लेख धारा 25, में होता है। इसलिए, विधायी इरादा स्पष्ट है कि केवल सी. पी. सी. की धारा 25 के तहत एक निर्देश है कि किसी भी वाद , अपील या अन्य कार्यवाही को एक राज्य के सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य के सिविल न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है और यह केवल इस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।

12. उपरोक्त दलीलों पर विराम लगाते हुए, श्री शर्मा ने भी आग्रह किया कि अपीलार्थीगण द्वारा हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनाया गया है और अपील खारिज होने योग्य है।

कानून के प्रासंगिक प्रावधान

13. सी. पी. सी. की धारा 24 और 25 बहस के केंद्र में होने के कारण, इसे ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। जहाँ तक प्रासंगिक है, उक्त प्रावधान इस प्रकार हैं:

"24. स्थानांतरण और वापसी की सामान्य शक्ति —

(1) जिस पर पक्षकारगण में से किसी का आवेदन और पक्षकारगण को सूचना देने के बाद और सुनवाई की इच्छा के रूप में उनमें से किसी को सुनने के बाद, या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, ऐसी सूचना के बिना, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय किसी भी स्तर पर -

(क) उनके समक्ष विचारण या निपटान के लिए लम्बित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को उनके अधीनस्थ किसी न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है जो उसका विचारण करने या निपटाने में सक्षम हो सकता है; या

(ख) अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय में लंबित किसी भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को वापस ले सकता है, और

(i) उसका विचारण या निपटान करें; या

(ii) उसे विचारण या निपटान के लिए उसके अधीनस्थ किसी भी न्यायालय को स्थानांतरित करना और उसके विचारण या निपटान में सक्षम होना; या

(iii) उसे विचारण या निपटान के लिए उस न्यायालय में पुनःस्थान्तरण करें जहाँ से उसे वापस ले लिया गया था।

(2) जहाँ किसी वाद या कार्यवाही को उप-धारा (1) के तहत स्थानांतरित या वापस ले लिया गया है, वह न्यायालय जो उसके बाद ऐसे वाद पर विचारण करती है, वह स्थानांतरण के आदेश के मामले में किसी विशेष निर्देश के अधीन रहते हुए, या तो इस पर पुनःविचारण कर सकती है या उस बिंदु से आगे बढ़ सकती है जहाँ पर इसे स्थानांतरित या वापस लिया गया था।

***"

"25. वार्दों आदि के स्थानांतरण के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति —

(1) किसी पक्षकार के आवेदन पर, और पक्षकारगण को सूचना देने के बाद, और उनमें से सुनवाई की इच्छा रखने वालों को सुनने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी स्तर पर, यदि संतुष्ट है कि इस धारा के तहत कोई आदेश न्याय के हित के लिए उचित है, तो निर्देश दे सकता है कि कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही एक राज्य के उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य के उच्च न्यायालय या अन्य सिविल न्यायालय में स्थानांतरित की जाए।

***"

14. 1976 में इसके संशोधन से पहले, संहिता की खंड 25 इस प्रकार थी:

"25. वादों के स्थानांतरण के लिए राज्य सरकार की शक्ति — (1) जहां एकल न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय में लंबित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्ष अपने द्वारा उसकी सुनवाई किए जाने पर आपत्ति करता है और न्यायाधीश का समाधान हो जाता है कि आपत्ति के लिए उचित आधार हैं, वह राज्य सरकार को एक रिपोर्ट देगा, जो आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे वाद, अपील या कार्यवाही को किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है।

बशर्ते कि कोई भी मुकदमा, अपील या कार्यवाही उस राज्य की राज्य सरकार की सहमति के बिना उच्च न्यायालय में स्थानांतरित नहीं की जाएगी जिसमें उस उच्च न्यायालय का प्रमुख स्थान है।"

15. चूंकि श्री बालगोपाल और श्री शर्मा के तर्कों को स्वीकार करने का परिणाम एक राज्य के सिविल न्यायालय से दूसरे राज्य के सिविल न्यायालय में एक वाद को स्थानांतरित करने के लिए सी.पी.सी. की धारा 24 के तहत एक आवेदन पर विचार करने के लिए एक समान उच्च न्यायालय को क्षेत्राधिकार से वंचित कर देना होगा, इस बात के बावजूद कि ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार का प्रयोग दोनों राज्यों तक फैला हुआ हैं, "राज्यों में उच्च न्यायालय" शीर्षक वाले भारतीय संविधान के अध्याय V और विशेष रूप से अनुच्छेद

214, 231, 227, 235 तथा 228 के प्रावधानों पर विचार करना नितांत आवश्यक हैं, जो हमारे विचार से कानूनी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं। साथ ही, सी. पी. सी. की पूर्व-संशोधित धारा 25 की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, इतिहास के पन्नों में एक झलक इस बारे में कि कैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय असम राज्य और अन्य राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय बन गया, अनिवार्य प्रतीत होता है।

16. अनुच्छेद 214 से स्पष्ट है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा संविधान में अंतःस्थापित अनुच्छेद 238 एक अध्यादेश है कि अध्याय V के पूर्ववर्ती प्रावधानों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, संसद कानून द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या दो या दो से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 227 उन क्षेत्रों में सभी न्यायालयों और प्राधिकरणों पर प्रत्येक उच्च न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति को मान्यता देता है जिनके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। अनुच्छेद 235 के अनुसार, सभी जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय में निहित है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान अनुच्छेद 228 है। अनुच्छेद 228 उच्च न्यायालय को, उसके समाधान के अधीन रहते हुए कि उसके अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले में संविधान की व्याख्या के बारे में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है और जिसका

निर्धारण मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, मामले को वापस लेने और (क) या तो मामले का स्वयं निपटान करने के लिए, या (ख) कानून के उक्त प्रश्न का निर्धारण करने और उस न्यायालय को वापस करने के लिए, जहां से मामला इस तरह वापस लिया गया है, ऐसे प्रश्न पर अपने निर्णय की एक प्रति के साथ, जिसके बाद उक्त न्यायालय ऐसे निर्णय के अनुरूप मामले का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेगी।

समान उच्च न्यायालय की उत्पत्ति और विकास

17. अब हम सामान्य उच्च न्यायालय, अर्थात् गुवाहाटी उच्च न्यायालय की उत्पत्ति और विकास और उन क्षेत्रों के संबंध में इसका अनुसरण करने के लिए निर्धारित किए गए प्रक्षेपवक्र पर ध्यान देंगे हैं जिन पर यह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।

18. गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अग्रदूत असम उच्च न्यायालय था, जिसकी स्थापना 5 अप्रैल, 1948 को असम उच्च न्यायालय आदेश 1948 (संक्षिप्ता के लिए 'आदेश 1948') के संदर्भ में की गई थी जिसे भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 229 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए गवर्नर जनरल द्वारा बनाया गया और भारत प्रांतीय संविधान (संशोधन) आदेश, 1948 द्वारा अपनाया गया। उसके पैरा 4 के संदर्भ में, असम उच्च न्यायालय को असम प्रांत में शामिल किए जा रहे क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे सभी मूल, अपीलीय और अन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान किए गए थे, जो निर्धारित दिन से तुरंत पहले लागू कानून के तहत, उक्त क्षेत्रों या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में कलकत्ता में उच्च

न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय के कार्यों का प्रयोग करने वाले असम के राज्यपाल द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य थे।

19. 1962 में संसद के एक अधिनियम द्वारा नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (संक्षिप्तता के लिए '1962 अधिनियम'), नागालैंड राज्य का गठन किया गया था। जबकि 1962 के अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) ने आदेश दिया कि असम और नागालैंड का उच्च न्यायालय नामक एक समान उच्च न्यायालय होगा, इसकी उप-धारा (3) में प्रावधान किया गया है कि समान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के संबंध में व्यय असम और नागालैंड राज्यों के बीच उस अनुपात में आवंटित किया जाएगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित करें।

20. 1962 के अधिनियम के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (संक्षिप्तता के लिए '1971 अधिनियम') आया। इस अधिनियम में मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों की स्थापना और मौजूदा असम राज्य का पुनर्गठन करके मेघालय राज्य और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के प्रावधान शामिल थे। "उच्च न्यायालय" शीर्षक वाले 1971 के अधिनियम के भाग IV में धारा 28 से 43 शामिल थीं। धारा 28 और 29, प्रासंगिक होने के कारण नीचे उद्धृत किए गए हैं:

"28. असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए समान उच्च न्यायालय।—(1) नियत दिन से ही -

(क) असम और नागालैंड का उच्च न्यायालय कार्य करना बंद कर देगा और इसके द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा।

(ख) असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय होगा जिसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय (असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का उच्च न्यायालय) कहा जाएगा।

(ग) उस दिन से ठीक पहले पद धारण करने वाले असम और नागालैंड के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जब तक कि उन्होंने अन्यथा नहीं चुना है, उस दिन समान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन जाएंगे:

(2) उप-धारा (1) के खंड (ए) की कोई भी बात असम और नागालैंड के उच्च न्यायालय द्वारा उस समय उस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के तहत नियत दिन से पहले दी गई किसी भी सूचना, जारी की गई निषेधाज्ञा, दिए गए निर्देश या की गई कार्यवाही के निरंतर संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी या प्रभावित नहीं करेगी।”

“29. समान उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र।— नियत दिन को और उससे, आम उच्च न्यायालय के पास, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में शामिल क्षेत्रों के संबंध में, नियत दिन से तुरंत पहले लागू कानून के तहत ऐसी सभी अधिकार

क्षेत्र, शक्तियां और अधिकार होंगे, जो उन क्षेत्रों के संबंध में असम और नागालैंड के उच्च न्यायालय या मणिपुर के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय या त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त के न्यायालय, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं।”

21. अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 और मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 के अधिनियमन के साथ, दो नए राज्यों का जन्म हुआ। पूर्ववर्ती विधान की धारा 18 और उत्तरार्ध विधान की धारा 15, जो कमोबेश आम तौर पर शब्दों में लिखी जाती है, जब एक साथ पढ़ी जाती है तो यह स्पष्ट होता है कि असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय (असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश उच्च न्यायालय) अस्तित्व में आया। ऊपर उल्लिखित 1962, 1971 और 1986 के घटनाक्रमों के बीच जो साझा सूत्र चलता है, वह यह है कि जब भी असम उच्च न्यायालय और उसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया गया और असम के अलावा अन्य राज्यों में इसका विस्तार किया गया, तो देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से के सभी सात सहयोगी राज्य समान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण के वेतन और भत्तों के संबंध में खर्च वहन करने के लिए सहमत हुए, जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा।

22. 1971 के अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एक दशक से थोड़ा अधिक समय पहले तक,

गुवाहाटी उच्च न्यायालय सात सहयोगी राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय था। उक्त उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत था।

23. हालाँकि, 1971 के अधिनियम में उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानूनों (संशोधन) द्वारा संशोधन किया गया। अधिनियम, 2012 (संक्षिप्तता के लिए 'संशोधन अधिनियम')। इसने मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए अलग-अलग उच्च न्यायालय स्थापित किए। तदनुसार, 1971 के अधिनियम की धारा 2 (घ) में "समान उच्च न्यायालय" की परिभाषा में संशोधन किया गया था। धारा 28 और 29 के बीच धारा 28क से धारा 28ट को शामिल करने के अलावा, संशोधन अधिनियम ने अन्य बातों के साथ-साथ धारा 28 की उप-धारा (1) में एक परंतुक भी पेश किया, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:

"बशर्ते कि पूर्वोक्त क्षेत्र (पुनर्गठन) और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ होने पर और उसके बाद से, साझा उच्च न्यायालय असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए उसका अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और अधिकार समाप्त हो जाएंगे।"

24. इसलिए, आज, गुवाहाटी उच्च न्यायालय पूरे असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाला साझा उच्च न्यायालय है; जो एक प्रबल कारण हैं कि, इन चार राज्यों के सभी सिविल न्यायालय एक

ही उच्च न्यायालय, अर्थात् गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं। इस प्रकार, यह एक उच्च न्यायालय है जो पहले सात अलग-अलग राज्यों पर अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता था और वर्तमान में चार अलग-अलग राज्यों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है। यह अपने आप में एक अनूठी विशेषता है जो स्वतंत्रता के बाद देश के न्यायिक इतिहास में अनुपम है।

25. हम न्यायिक रूप से विचार कर सकते हैं कि अतीत में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण को उपरोक्त राज्यों के अधिवक्तागण और न्यायिक अधिकारियों में से पदोन्नत किया गया है।

26. इसलिए, जहां तक न्यायिक प्रशासन का संबंध है, संविधान के अनुच्छेद 232 के संदर्भ में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अन्य बातों के साथ साथ, असम राज्य के साथ-साथ नागालैंड राज्य के लिए भी उच्च न्यायालय है।

पूर्व-संशोधित धारा 25, सी. पी. सी.

27. आगे बढ़ने से पहले, अब हम यह समझने के उद्देश्य से संहिता की पूर्व-संशोधित धारा 25 का उल्लेख कर सकते हैं कि वह कौन सी क्षति थी जिसे संसद अपनी प्रासंगिक शर्तों में मौलिक रूप से परिवर्तन करके संबोधित करना चाहती थी जिसके परिणामस्वरूप इसका पर्याप्त प्रतिस्थापन हुआ। पूर्व-संशोधित प्रावधान का केवल अवलोकन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इसका दायरा और प्रयोज्यता सीमित थी। जब तक राज्य की सरकारें तदर्थ न हो, किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को एक राज्य के सिविल

न्यायालय से दूसरे राज्य के सिविल न्यायालय में स्थानांतरित करना एक अनुज्ञेय विकल्प नहीं था। इसके अलावा, किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही का ऐसा स्थानांतरण न्यायिक अधिनियम द्वारा प्रभावित होने के बजाय एक प्रशासनिक अधिनियम पर छोड़ दिया गया था और वह भी केवल तभी जब दोनों राज्य सरकारें सहमत हों। विधि आयोग ने एक संशोधन की सिफारिश करने के बाद, सी. पी. सी. की धारा 25 को 1976 के संशोधन अधिनियम 104 द्वारा संशोधित किया गया। धारा 25 के पूर्व-संशोधित और वर्तमान संस्करण का एक विरोधाभास स्पष्ट रूप से स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण के विशिष्ट विचलन का संकेत देता है । इस परिस्थिति में ,धारा 25 में संशोधन के लिए उद्देश्यों और कारणों के विवरण (संक्षिप्तता के लिए 'एस. ओ. आर.')

“ खंड 12.—संहिता की धारा 25 राज्य सरकार को कुछ परिस्थितियों में वादों आदि को राज्य में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार देती है। यह धारा दायरे में बहुत संकीर्ण है क्योंकि इसमें केवल एकल न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले उच्च न्यायालय में लंबित वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के स्थानांतरण का प्रावधान है। इसके अलावा, राज्य सरकार स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त एजेंसी प्रतीत नहीं होती है। इसलिए, धारा 25 को एक नई धारा द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है जो राज्य सरकार के पास निहित मौजूदा शक्ति को उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित

करने और उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरण की ऐसी व्यापक शक्तियां प्रदान करने का प्रावधान करती है जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 के तहत आपराधिक मामलों में है। इसके अलावा, नई धारा में किसी उच्च न्यायालय से या उसके मूल खंड से किसी अन्य सिविल न्यायालय में या उससे मामलों का स्थानान्तरण शामिल है। इस प्रकार नई धारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 406 की तुलना में व्यापक है।”

28. इस प्रकार, धारा 25 के संशोधन के साथ, एक राज्य के सिविल न्यायालय से दूसरे राज्य के सिविल न्यायालय में लम्बित किसी भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के अंतर-राज्यीय स्थानांतरण पर निर्णय लेने के लिए इस न्यायालय को शक्ति प्रदान करके न्यायालयों द्वारा प्रशासन में एक गंभीर बाधा का समाधान किया गया है। चूंकि पूर्व-संशोधित धारा 25 के तहत, ऐसा स्थानांतरण अंतरक राज्य द्वारा केवल तभी किया जा सकता है जब अंतरिती राज्य ने इसके लिए सहमति दी हो, इसलिए एस. ओ. आर. में यह उचित रूप से देखा गया था कि इस तरह के स्थानांतरण पर निर्णय लेना राज्यों का कार्य नहीं था। यद्यपि, सलाह के तौर पर, हम मानते हैं कि एस. ओ. आर. में सहयोग के इर्द-गिर्द केंद्रित अनिश्चितता या धारा 25 में संदर्भित प्रकृति के स्थानांतरण से पहले सम्बन्धित राज्यों के बीच इसकी कमी के बारे में कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन यह समझने में बहुत अधिक समय नहीं लगता कि संसद ने सही दिशा में आगे बढ़ी और उस रिष्टि को दूर करने का प्रयास किया जो तब उत्पन्न हो सकती थी जब दोनों राज्य

एक ही पृष्ठ पर नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप एक वादकारी को अपने मामले की पुष्टि करने से वंचित होना पड़ सकता था । जैसा हो सकता है वैसा ही रहने दें ।

निर्णयों पर विचार

29. सामान्य रूप से उच्च न्यायालयों से संबंधित संविधान के प्रावधानों का सर्वेक्षण करने के बाद और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ असम और नागालैंड राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय के रूप में कैसे आकार लिया है, यह दुर्गेश शर्मा (उपरोक्त) में निर्णय पर गौर करने का समय है, जिसका उल्लेख श्री बालगोपाल और श्री गोस्वामी ने किया है और साथ ही साथ अपीलार्थीगण के लिए उनके द्वारा उद्धृत अन्य निर्णयों पर भी गौर करने का समय है।

30. दुर्गेश शर्मा (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय को इस सवाल का सामना करना पड़ा कि क्या मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत एक याचिका को स्थानांतरित करने का आदेश देने के लिए संहिता की धारा 23 के तहत एक आवेदन पर न्यायसंगत था, जिसे अपीलार्थी-पति द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन की एक अदालत में मालेगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र की एक अदालत में प्रत्यर्थी-पत्नी द्वारा स्थापित उक्त अधिनियम की खंड 9 के तहत एक याचिका के साथ मुकदमा चलाने के लिए स्थानांतरित किया गया था। कानून के प्रावधानों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"46. समय-समय पर संशोधित संहिता की योजना पर विचार करने के बाद, हमारे निर्णय में, मामलों के स्थानांतरण (वादों, अपील और अन्य कार्यवाही) से संबंधित कानून सुस्थापित किया गया है। यह संहिता की धारा 22 से 25 में पाया जाता है और वे प्रावधान संपूर्ण प्रकृति के हैं। जबकि धाराएँ 22, 24 और 25 स्थानांतरण की शक्ति से संबंधित हैं, धारा 23 केवल मंच प्रदान करती है और उस न्यायालय को निर्दिष्ट करती है जिसमें स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। धारा 23 एक मूल प्रावधान नहीं है जो किसी विशेष न्यायालय को स्थानांतरण का आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है।

47. हमारी सुविचारित राय में, जहां अधिकार क्षेत्र वाले कई न्यायालय एक अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, ऐसे अपील न्यायालय में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा सकता है और न्यायालय किसी मामले को अपने अधीनस्थ एक न्यायालय से अपने अधीनस्थ दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। इसी तरह, जहां ऐसे न्यायालय एक ही उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, वहां एक आवेदन किया जा सकता है और उच्च न्यायालय द्वारा कार्रवाई की जा सकती है जो किसी मामले को अपने अधीनस्थ एक न्यायालय से उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। लेकिन जहां ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं, यह केवल सर्वोच्च न्यायालय (यह न्यायालय) है जो स्थानांतरण का

आदेश पारित कर सकता हैं। दूसरे शब्दों में, यदि दो न्यायालय अलग-अलग उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं, तो एक उच्च न्यायालय के पास उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में लंबित मामले को दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित करने की कोई शक्ति, अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं है । यह केवल सर्वोच्च न्यायालय (यह न्यायालय) है जो स्थानांतरण का आदेश दे सकता है।

48. धारा 25, जैसा कि मूल रूप से संहिता 1908 में अधिनियमित किया गया था और 1976 के संशोधन अधिनियम से पहले के निर्णयों में धारा 25 के प्रतिस्थापन के बाद कोई अनुप्रयोग नहीं है जैसा कि आज है। हमारे लिए, धारा 23 ऐसे मामलों पर लागू नहीं होती है और केवल धारा 25 ही ऐसा प्रावधान है।

49. धारा 25 की भाषा भी उस दृष्टिकोण का समर्थन करती है जिसे हम अपनाना चाहते हैं। संहिता की धारा 25 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि 'एक पक्ष के आवेदन पर', यह न्यायालय स्थानांतरण का एक उचित आदेश पारित कर सकता है। इस प्रकार, धारा 25 'स्व-निहित संहिता' है और इसमें *मूल* के साथ-साथ इस मुद्दे पर *प्रक्रियात्मक* कानून भी शामिल है । यह एक पक्ष को आवेदन करके न्यायालय में जाने की अनुमति देता है और साथ ही यह न्यायालय को स्थानांतरण का आदेश देने का अधिकार भी देता है।

50. इस मामले की जांच दूसरे कोण से भी की जा सकती है। प्रत्येक न्यायालय की अपनी स्थानीय या क्षेत्रीय सीमाएँ होती हैं जिनके परे वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है। जहाँ तक इस न्यायालय का संबंध है, इसका अधिकार क्षेत्र किसी भी क्षेत्रीय सीमा से सीमित नहीं है और यह भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण पर फैली हुई है। लेकिन, देश के बाहर इसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जहाँ तक उच्च न्यायालय का संबंध है, उसका अधिकार क्षेत्र उस क्षेत्र तक सीमित है जिसके भीतर वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है न कि उससे परे। उस सादृश्य पर भी, एक उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय में लंबित मामले को दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश पारित नहीं कर सकता है। यह न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा के साथ असंगत होगा।

54. संविधान के प्रारंभ और सर्वोच्च न्यायालय (इस न्यायालय) की स्थापना के बाद, संसद ने संहिता की धारा 25 में संशोधन करना उचित समझा और तदनुसार, इस न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय या एक राज्य में एक सिविल न्यायालय से किसी राज्य में दूसरे सिविल न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देने का अधिकार देकर इसे प्रतिस्थापित किया गया।

55. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब वर्तमान रूप में धारा 25 को 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तब भी संहिता की धारा 23 की उप-धारा (3) को न तो हटाया गया है और न ही संशोधित किया गया है। हालाँकि, यह प्रासंगिक नहीं है। चूंकि हमारे सुविचारित विचार में, धारा 23 केवल एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है, इसलिए उक्त प्रावधान के तहत स्थानांतरण का कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है। यदि मामला संहिता की धारा 25 द्वारा कवर किया गया है, तो यह केवल वही धारा है जो दोनों उद्देश्यों के लिए लागू होगी, अर्थात्, आवेदन करने के उद्देश्य से और स्थानांतरण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भी।***”

31. दुर्गेश शर्मा (उपरोक्त) एक ऐसा प्राधिकरण है जो उन मामलों को तय करने के लिए एक बाध्यकारी परम्परागत तरीके का प्रभाव रखता है जहां किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय किसी वाद, अपील या कार्यवाही को अपने अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे राज्य के लिए उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित करना चाहता है। हम उसमें व्यक्त किए गए विचारों को साझा करते हैं। हालांकि, इस मामले में मौजूद मौलिक तथ्यात्मक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए, मूल मुद्दे का जवाब देते समय दुर्गेश शर्मा (उपरोक्त) का विनिश्चय-आधार यहां लागू नहीं हो सकता है।

32. मेघा जैन (उपरोक्त) में निर्णय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक अन्य एकल न्यायाधीश द्वारा एक बृहद पीठ

को दिए गए संदर्भ पर दिया गया था, जिन्हें पोमी सेनगुसा (उपरोक्त) में समन्वय पीठ द्वारा लिए गए विचार से सहमत होने के लिए राजी नहीं किया गया था। आइजोल, मिजोरम की एक न्यायालय में लंबित प्रत्यर्थी द्वारा शुरू की गई एक वैवाहिक कार्यवाही को याचिकाकर्ता द्वारा सी. पी. सी. की धारा 24 द्वारा प्रदान किए गए उपचार का अनुसरण करते हुए कामरूप, गुवाहाटी, असम के एक न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। खण्ड पीठ ने मुख्य न्यायाधीश के माध्यम से बोलते हुए यह अभिनिर्धारित किया:

"9. प्रधान पीठ और स्थायी पीठों के साथ उच्च न्यायालय का गठन, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह इंगित करता है कि सभी चार राज्यों में सभी न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं और चूंकि नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में कोई अलग उच्च न्यायालय स्थापित नहीं हैं, दिनांक 22.6.1990 की अधिसूचना के अंतर्गत आइजोल में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया है। अन्य दो राज्यों के संबंध में भी इसी तरह की अधिसूचनाएं जारी की गई थीं। ये पहलू इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ेंगे कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय चारों राज्यों के सभी न्यायालयों पर अपनी शक्ति और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। यदि इस आलोक में, सी. पी. सी. की धारा 24 में निहित प्रावधान, जिसे उपरोक्त उद्धृत किया गया है, पर ध्यान दिया जाता है, तो उप-धारा (1)(क) यह इंगित करेगी कि उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय, किसी भी स्तर पर,

अपने समक्ष लंबित किसी भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को विचारण या निपटान के लिए अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय को स्थानांतरित कर सकता है और उसे विचारण करने और निपटाने में सक्षम हो सकता है। यदि उक्त प्रावधान को ध्यान में रखा जाता है और उच्च न्यायालय और स्थायी पीठ की स्थापना से संबंधित उपरोक्त चर्चा पर विचार किया जाता है और उस परिस्थिति में, जब मिजोरम राज्य में अधीनस्थ न्यायालय और असम राज्य में अधीनस्थ न्यायालय भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, तो इस न्यायालय के समक्ष सी. पी. सी. की धारा 24 के तहत दायर एक स्थानांतरण याचिका, अर्थात् गुवाहाटी उच्च न्यायालय, यहां तक कि चार राज्यों में से किसी में भी अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा 24 में निहित प्रावधान से ही बनाए रखा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में, सी. पी. सी. की धारा 25 के तहत याचिका दायर करने का सवाल ही नहीं उठेगा क्योंकि ऊपर निर्दिष्ट राज्यों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले कोई अलग उच्च न्यायालय नहीं हैं। यदि उस पृष्ठभूमि में, अवलोकन, जैसा कि *श्रीमती पोमी सेनगुप्ता (उपरोक्त)* में निहित टिप्पणी पर विचार किया जाता है, तो विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित नहीं थे कि यदि सी. पी. सी. की धारा 24 के तहत एक

याचिका पर विचार किया जाता है, तो यह प्रावधान में शब्दों को जोड़ने के बराबर होगा।

"33. चलसानी दीप्ति (उपरोक्त) याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा दायर एक आवेदन से उत्पन्न हुई, जिसमें प्रत्यर्थी-पति द्वारा पारिवारिक न्यायालय, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना माननीय न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश न्यायालय में स्थापित वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक वाद को वापस लेने और स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। (अविभाजित) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के खंडों और महा-अधिवक्ताओं को सुनने के बाद और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करने के बाद, विशेष रूप से इसकी धारा 30 और 31 के साथ-साथ सी. पी. सी. की धारा 24 और 25 के साथ-साथ दुर्गेश शर्मा (उपरोक्त) में निर्णय ने अभिनिर्धारित किया कि दोनों न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं, जो तब तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय था, धारा 24 के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदन विचारणीय था।

34. बॉम्बे उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने चलसानी दीप्ति (उपरोक्त) में निर्णय का पालन करते हुए याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा दायर सी. पी. सी. की धारा 24 के तहत आवेदन को अनुमति दी, जिसमें प्रत्यर्थी-पति द्वारा स्थापित मापुसा, उत्तरी गोवा न्यायालय में सिविल न्यायाधीश की फाइल पर लंबित वैवाहिक याचिका को बांद्रा, मुंबई, महाराष्ट्र के परिवार न्यायालय में स्थानांतरित करने की मांग

की गई थी। संयोग से, बॉम्बे उच्च न्यायालय महाराष्ट्र और गोवा राज्यों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के लिए समान उच्च न्यायालय है। विद्वान न्यायाधीश ने निर्णयों में दर्ज कारणों के आधार पर, प्रत्यर्थी-पति की इस आपति को खारिज कर दिया कि स्थानांतरण आवेदन गोवा में बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए था न कि मुंबई में इसकी प्रधान सीट पर । उल्लेखनीय है कि इस मामले में कोई आपति नहीं उठाई गई थी कि सी. पी. सी. की धारा 25 के तहत इस न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करके स्थानांतरण का अनुरोध किया जाना चाहिए था।

35. इसलिए, उच्च न्यायालयों के स्तर पर कई न्यायिक प्राधिकरण हैं कि सी. पी. सी. की धारा 25 उच्च न्यायालय द्वारा उसकी धारा 24 के तहत एक आवेदन के विचार पर रोक नहीं लगाएगी, यहां तक कि एक अंतर-राज्यीय स्थानांतरण के लिए भी, यदि ऐसा उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय है और स्थानांतरण, जैसा कि अनुरोध किया गया है, उक्त उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी सिविल न्यायालय में नहीं है।

विक्षेपण और निर्णय

36. जैसा विचार किया गया, वादी के रूप में अपीलार्थीगण ने जिला न्यायाधीश के न्यायालय, दीमापुर, नागालैंड में सिविल वाद दायर किया है और अब इस तरह के वाद को जिला न्यायाधीश के न्यायालय , गुवाहाटी, असम में स्थानांतरित करने की मांग करते हैं। यदि इस तरह के

स्थानांतरण की अनुमति दी जाती है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अंतर-राज्यीय स्थानांतरण होगा। जहाँ तक किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के अंतर-राज्यीय स्थानांतरण का संबंध है, सी.पी.सी. की धारा 25 के एक साधारण और शाब्दिक अध्ययन से पता चलता है कि इस तरह के स्थानांतरण की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। दुर्गेश शर्मा (उपरोक्त) का पैरा 54, जिस पर श्री बालगोपाल द्वारा अत्यधिक भरोसा किया गया है, उनकी दलीलों का समर्थन करता है। दुर्गेश शर्मा (उपरोक्त) के साथ सहपठित सी.पी.सी. की धारा 25 की योजना और उसके स्पष्ट शब्दों को ध्यान में रखते हुए, श्री बालगोपाल यह विचार रखते हुए प्रतीत होते हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना किये गये इस तरह के अंतर-राज्यीय प्रकृति के स्थानांतरण का आदेश धारा 24 के तहत नहीं दिया जा सकता है। हालाँकि, जब हम इस मुद्दे को हल करने के लिए अपने न्यायिक लेंस लगाते हैं तो कुछ और दिखाई देता है।

37. सी.पी.सी. की धारा 24 'स्थानांतरण और वापसी' की एक सामान्य शक्ति है जो उच्च न्यायालयों द्वारा किसी भी स्तर पर बिना किसी सूचना के स्वप्रेरणा संज्ञान या नोटिस के बाद किसी भी पक्ष के आवेदन पर लागू किया जा सकता है, जबकि धारा 25 सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी पक्षकारगण के आवेदन पर और नोटिस के बाद, उसमें उल्लिखित न्यायालयों से वादों आदि को स्थानांतरित करने की अनन्य शक्ति प्रदान करती है। जबकि धारा 24 सामान्य कानून का हिस्सा है, धारा 25 विशेष कानून है। धारा 24 की उप-धारा (1) का खंड (ख), जो वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक है, उच्च न्यायालय के लिए इस समाधान पर

पहुंचने पर एक मार्ग खोलता है कि स्थानांतरण के लिए कोई मामला बनाया गया है, किसी भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को वापस लेने के लिए जो उसके अधीनस्थ किसी भी अदालत में लंबित है और (i) उसका विचारण और निपटान करने के लिए; या (ii) उसे किसी भी न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए जो उसके अधीनस्थ है और उसका विचारण या निपटान करने के लिए सक्षम है; या (iii) उसे उस न्यायालय में फिर से स्थानांतरित करने के लिए जिससे उसे वापस लिया गया है; जबकि, धारा 25 सर्वोच्च न्यायालय को इस संतुष्टि पर अधिकार देती है कि न्याय के लिए अनिवार्य आदेश में किसी वाद, अपील अथवा अन्य कार्यवाही को (i) एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय; (ii) एक राज्य के सिविल न्यायालय से किसी अन्य राज्य के सिविल न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दे सकता है। अतः दोनों धाराओं का व्याख्यान उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के लिए वादों, अपील या अन्य कार्यवाहियों को स्थानांतरित करने के लिए आरक्षित शक्तियों के बारे में स्थिति स्पष्ट करता है। कानून सुस्थापित है, और हम लाभप्रद रूप अमरेंद्र प्रताप सिंह बनाम तेज बहादुर प्रजापति के निर्णय का हवाला दे सकते हैं, कि एक सामान्य कानून किसी विशेष कानून के प्रावधानों को उस हद तक पराजित नहीं कर सकता है जिस हद तक वे विरोधाभास में हैं; अन्यथा, दोनों प्रावधानों को समरूप पठन द्वारा सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए, जिस बात को देखने और सराहना करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या सामान्य कानून (धारा 24) और विशेष कानून (धारा 25) के बीच कोई टकराव या

विसंगति है, जो पहले वाले को स्वीकार करने के लिए है, और यह पता लगाने के लिए कि क्या उच्च न्यायालय के पास अभी भी सामान्य कानून के तहत अंतर-राज्यीय स्थानांतरण का आदेश देने का अधिकार क्षेत्र है, भले ही विशेष कानून उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरण की ऐसी शक्ति प्रदान करता हो। सूत्रवाक्य 'साधारण कथन विशेष स्थान का अल्पीकरण नहीं करते' के लागू होने के लिए दोनों के मध्य एक विसंगति व्याप्त होना आवश्यक है। 1976 में सी. पी. सी. की धारा 25 के संशोधन के अनुसरण में उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र, यद्यपि विशेष हैं, धारा 24 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान टकराव में नहीं आ सकता है और धारा 25 को विफल कर सकता है, यदि अधिकार क्षेत्र अभी भी किसी दिए गए मामले में पूर्व के तहत हिंसा किए बिना प्रयोग करने के लिए उपलब्ध पाया जाता है।

38. हमारी सुविचारित राय में, सी. पी. सी. की धारा 25 दुर्गेश शर्मा (उपरोक्त) जैसे मामलों में एक बाधा के रूप में काम करेगी; हालाँकि, सी.पी.सी. की धारा 25-इसमें परिकल्पित योजना के होते हुए भी- गुवाहाटी उच्च न्यायालय की तरह एक समान उच्च न्यायालय को उसकी धारा 24 के तहत एक आवेदन पर विचार करने के लिए, किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के आदेश के लिए भी अस्वीकार करने के लिए एक पूर्ण प्रतिबंध के रूप में काम नहीं करती है, बशर्ते कि संबंधित राज्य उन चार राज्यों में से दो हों जिनके संबंध में ऐसा उच्च न्यायालय अभी भी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। हमारे द्वारा बनाई गई यह राय है जो इन कारणों से

उद्धृत हैं जिन्हें हम अब अधोलिखित रूप से वर्णित करने जा रहे हैं ।

39. संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के तथ्यात्मक मैट्रिक्स से, इस बात की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है कि असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में न्यायालय और प्राधिकरण अनुच्छेद 227 के संदर्भ में न केवल गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन हैं, ऐसे राज्यों में सभी जिला न्यायालय और न्यायालय अनुच्छेद 235 के तहत गुवाहाटी उच्च न्यायालय के नियंत्रण के साथ-साथ सी.पी.सी. की धारा 3 के संदर्भ में उसी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ हैं। सी.पी.सी. में धारा 25 को यह सुनिश्चित करने के एक निश्चित उद्देश्य के साथ जोड़ा गया है कि कोई भी उच्च न्यायालय एक राज्य के सिविल न्यायालय में लंबित वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को दूसरे राज्य के सिविल न्यायालय में स्थानांतरित नहीं करता है । इसका कारण यह है कि जिस उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जाता है, उसके पास कानूनी रूप से किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को अपने अधीनस्थ सिविल न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति है, लेकिन उसके पास उपरोक्त में से किसी को भी किसी ऐसे सिविल न्यायालय में स्थानांतरित करने की कोई कानूनी शक्ति नहीं है जो किसी अन्य उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है। वही स्थिति जिससे दुर्गेश शर्मा (उपरोक्त) को निपटना पड़ा, जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालय शामिल थे। इस न्यायालय के पास यह अभिनिर्धारित करने का अवसर था कि यदि दो न्यायालय अलग-अलग उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ हैं, तो एक उच्च

न्यायालय के पास उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय में लंबित मामले को दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित करने की कोई शक्ति, अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं है और यह केवल सर्वोच्च न्यायालय है जो स्थानांतरण का आदेश दे सकता है। इस तरह के निष्कर्ष का कारण स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जाता है, उसे न तो अनुच्छेद 227 के तहत उस सिविल न्यायालय पर पर्यवेक्षण की कोई शक्ति प्राप्त है, जिसमें स्थानांतरण की मांग की गई है और न ही ऐसे सिविल न्यायालय को ऐसा न्यायालय कहा जा सकता है, जिस पर उच्च न्यायालय अनुच्छेद 235 में निर्दिष्ट प्रकृति पर कोई नियंत्रण रखता है। इसके अलावा, ऐसे मामले में, उस क्षेत्र से बाहर के सिविल न्यायालय को, जिसके संबंध में उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, सी. पी. सी. की धारा 3 के अर्थ में ऐसे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं माना जा सकता है।

40. सी. पी. सी. की धारा 25 को मौलिक रूप से परिवर्तित करके और इसे पूरी तरह से नए अवतार में प्रस्तुत करके जिन खामियों को दूर करने की कोशिश की गई थी, उन पर एस. ओ. आर. और संविधान के अध्याय V के प्रावधानों के आलोक में उचित विचार किया जाना चाहिए। इस तरह का विचार करते हुए, हम मानते हैं कि धारा 25 को लागू करने के लिए जो प्राथमिक महत्व है, वह स्थानांतरण की कार्यवाही में दो सिविल न्यायालयों (अंतरक तथा अंतरिती) की भागीदारी है, जो न केवल दो अलग-अलग राज्यों में स्थित हैं, बल्कि ऐसे प्रत्येक राज्य के उच्च

न्यायालयों के न्यायिक पर्यवेक्षण और प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति के अधीन भी हैं।

41. धारा 25 पर ध्यान केंद्रित करते समय, कोई भी धारा 24(1) (ख)(ii) की शर्तों से पूरी तरह से अनजान नहीं हो सकता है। जब भी स्थानांतरण के लिए धारा 24 के तहत एक आवेदन के साथ संपर्क किया जाता है, तो उच्च न्यायालय, अपने संतुष्टि के अधीन कि तथ्य और परिस्थितियां एक आदेश का पारित किया जाना अनिवार्य करती हैं, "उसके अधीनस्थ..... किसी भी न्यायालय में स्थानांतरण" करने के लिए सशक्त है। इन शब्दों का बहुत महत्व है। स्थानांतरण का निर्देश देने में, उच्च न्यायालय एक वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को "किसी भी न्यायालय" में स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन इस बंधन को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी ऐसा न्यायालय, जिसके लिए प्रासंगिक मामला या मामला प्रस्तावित है या जिसे स्थानांतरित करने की मांग की गई है, उसके अधीनस्थ होना चाहिए और अन्यथा विषय वस्तु से निपटने के लिए सक्षम होना चाहिए; यदि ऐसा न्यायालय या तो अधीनस्थ नहीं है या सक्षम नहीं है, तो शक्ति उपयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, धारा 24 में ऐसी कोई बाधा नहीं है कि उसकी उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है यदि अंतरिती न्यायालय, यद्यपि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है, एक अलग राज्य में स्थित है। धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (क) के मामले में भी ऐसा ही है । यह शक्ति तब तक उपलब्ध है जब तक सिविल न्यायालय अनुच्छेद 235 के साथ सहपठित अनुच्छेद 227 और सी. पी. सी. की धारा 3

के तहत इसके अधीनस्थ बना रहता है। इस सीमा तक, उच्च न्यायालय को एक सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है जो धारा 25 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के अधीन भी नहीं है। एकमात्र प्रतिवाद यह है कि धारा 24(1)(क) और 24(1)(ख)(ii) के तहत स्थानांतरण की इस शक्ति का उपयोग गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा असम या नागालैंड के न्यायालय से त्रिपुरा या मणिपुर या मेघालय के सिविल न्यायालय में सिविल वाद के स्थानांतरण के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि उक्त राज्य 2012 से अब गुवाहाटी उच्च न्यायालय का हिस्सा नहीं हैं और तब से उनके पास अपने स्वयं के उच्च न्यायालय हैं।

42. यह समय है सभी संबंधित लोग यह समझे कि एक उच्च न्यायालय- चाहे वह कितना भी बड़ा हो या छोटा- पुराना हो या नया- उतना ही संवैधानिक न्यायालय है जितना कि यह न्यायालय है और कानून द्वारा निहित व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 25 के तहत शक्ति एक विशेष शक्ति है, लेकिन सामान्य उच्च न्यायालय सी.पी.सी. की धारा 24 को इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए जैसे कि धारा 25 के तहत अंतर-राज्यीय स्थानांतरण का आदेश देने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति अंतर-राज्यीय स्थानांतरण के सभी मामलों में उसके द्वारा विशेष रूप से प्रयोग करने के लिए उपलब्ध है, जिससे देश के समान उच्च न्यायालयों को केवल अंतर-राज्यीय स्थानांतरण की भागीदारी के संदर्भ में उनकी अधिकार क्षेत्र से वंचित किया जाता है और इससे अधिक कुछ भी नहीं देखा जाता है।

43. 1962 के अधिनियम, फिर 1971 के अधिनियम और अंत में संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के कारण असम और नागालैंड राज्यों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय उनके समान उच्च न्यायालय के रूप में है और यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय है जिसे इन दोनों राज्यों के क्षेत्रों के भीतर सभी न्यायालयों पर न्यायिक पर्यवेक्षण की शक्ति प्राप्त है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय सभी जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर भी प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। यद्यपि भारत के राजनीतिक मानचित्र में असम और नागालैंड राज्य अच्छी तरह से सीमांकित क्षेत्र हैं, न्यायाधीश के प्रशासन के उद्देश्य से, दोनों राज्य अनिवार्य रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायाधीशालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय जैसे समान उच्च न्यायालय में निहित अधिकार क्षेत्र की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, धारा 24 (1) के खंड (क) और (ख) के तहत उपलब्ध शक्ति का खंडन नहीं किया जा सकता है, जिसमें स्वप्रेरणा संज्ञान लेने की शक्ति शामिल है।

44. दूसरा, हम इस विचार के पक्ष में हैं कि यदि श्री बालगोपाल द्वारा प्रस्तुत तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो यह विसंगत और असंगत परिणाम देने के लिए बाध्य है। यदि एक समान उच्च न्यायालय, जैसे कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय, संतुष्ट है कि एक न्यायालय से सिविल वाद को वापस लेने की स्थिति मौजूद है, जैसे कि नागालैंड में, तो सी. पी. सी. की धारा 24 (1)(ख)(i) गुवाहाटी उच्च न्यायालय को इस तरह के वाद को वापस लेने और उसका निपटान करने की शक्ति प्रदान करती है। हम इस बात से अवगत हैं कि धारा 24 (1)(ख)(i) के पहले भाग में प्रयुक्त

क्रिया 'वापस लेना' है और 'स्थानांतरण' नहीं है; साथ ही, धारा 24 की उप-धारा (1) का खंड (ख) निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तीन उप-खंडों में 'वापस लेना', 'स्थानांतरण' और 'पुनः स्थानांतरण' क्रियाओं को नियोजित करता है। हालाँकि, क्या इसका मतलब यह होगा कि किसी मामले को वापस लेने में कभी भी स्थानांतरण शामिल नहीं होता है? क्रिया 'स्थानांतरण' का , अन्य बातों के साथ-साथ , अर्थ है स्थानांतरित करना, या किसी को/किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। एक बार, किसी भी कारण से, एक फ़ाइल का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण शामिल हो जाता है, जो वापसी के कारण हो सकता है, व्यापक अर्थों में एक स्थानांतरण होता है। अब, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्रधान सीट असम राज्य के गुवाहाटी में होने के कारण, धारा 24 (1)(ख)(i) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करना था, इस तरह की वापसी पर इसका प्रभाव यह है कि मुकदमा नागालैंड के दीवानी न्यायालय से गुवाहाटी में प्रमुख स्थान पर स्थानांतरित हो जाएगा और संभवतः, प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से एक अलग पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी, जिसके बाद धारा 24 (1) (ख) के संदर्भ में तीन विकल्प उच्च न्यायालय के लिए वाद को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाने के लिए आगे की कार्रवाई के लिए खुले हैं। एक बार जब नागालैंड न्यायालय से वाद वापस ले लिया जाता है और असम के गुवाहाटी में इसकी प्रधान सीट पर उच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाता है, तो क्या यह अंतर-राज्यीय स्थानांतरण का मामला नहीं होगा? इसका जवाब संभवतः सकारात्मक नहीं हो सकता है। इस संबंध में विचार करने की आवश्यकता

वाला दूसरा पहलू यह है कि क्या गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा सिविल वाद का निपटान, यदि उन्हें अधीनस्थ अदालत से वापस ले लिया गया था, तो एक सिविल न्यायालय से दूसरे सिविल न्यायालय में स्थानांतरण का गठन करता है। उच्च न्यायालय संवैधानिक न्यायालय हैं न की 'सिविल न्यायालय' जिस अर्थ में इस शब्द को समझा जाता है, इसलिए एक सिविल न्यायालय से दूसरे सिविल न्यायालय में स्थानांतरण शामिल है। हालाँकि, यदि इस तरह के वाद को वापस ले लिया जाता है और अंत में गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा अपने प्रधान सीट पर निपटान किया जाता है, तो यह अनिवार्य रूप से अपने सामान्य नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा और जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना है वह निस्संदेह सी. पी. सी. के प्रावधानों द्वारा निर्देशित होगी। एक अर्थ में, उच्च न्यायालय उस सिविल न्यायालय को प्रतिस्थापित करेगा जिससे वाद वापस लिया गया है। क्या ऐसी परिस्थितियों में सी. पी. सी. की धारा 25 के प्रावधानों का हवाला देते हुए नागालैंड के सिविल न्यायालय से सिविल वाद वापस लेने और उस पर निर्णय लेने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय की संवैधानिक और वैधानिक शक्ति को निरस्त किया जा सकता है ? सुनवाई के दौरान, हमने इस स्थिति पर श्री बालगोपाल का ध्यान आकर्षित किया था और उनकी प्रतिक्रिया मांगी थी । वह इस बात पर विवाद नहीं कर सकते थे कि ऐसी स्थिति में संविधान के साथ-साथ सी. पी. सी. द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय में निहित शक्ति को निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, किसी दिए गए मामले में धारा 24 (1)(ख)(i) द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति का

प्रयोग अंततः नागालैंड राज्य से सिविल वाद को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करेगा, जिसकी प्रधान सीट असम राज्य के गुवाहाटी में है। ऐसी स्थिति को धारा

25 द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और धारा 24 और 25 के सामंजस्यपूर्ण पठन पर, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि धारा 25 सभी मामलों में एक समान उच्च न्यायालय को किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के अंतर-राज्य स्थानांतरण का आदेश देने की शक्ति को बाधित नहीं करती है। अन्यथा, यह विश्वास करना एक भ्रांति होगी कि जबकि एक अंतर-राज्यीय स्थानांतरण उप-खंड (i) के संदर्भ में अनुमेय होगा लेकिन धारा 24 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के संदर्भ में नहीं। हम दोहराते हैं कि धारा 25 को अनिवार्य रूप से किसी भी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही को एक राज्य के सिविल न्यायालय से दूसरे राज्य के सिविल न्यायालय में स्थानांतरित करने पर रोक लगाने के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, यदि ऐसे राज्यों के पास अपने उच्च न्यायालय हैं, लेकिन गुवाहाटी उच्च न्यायालय जैसे समान उच्च न्यायालय के मामले में नहीं।

45. संविधान की व्याख्या के संबंध में अन्य बातों के साथ साथ कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामले को वापस लेने की समान शक्ति संविधान के अनुच्छेद 228 द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। यदि अनुच्छेद 228 द्वारा परिकल्पित प्रकृति की कोई स्थिति मौजूद है, तो गुवाहाटी में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की प्रधान सीट नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के तीन राज्यों में से किसी से भी इस तरह के मामले को वापस ले सकती

है और यह तय कर सकती है कि कार्रवाई के दो तरीके में से किसे चुना जाना है। यह एक अंतर-राज्यीय स्थानांतरण भी होगा। जाहिर है, धारा 25 गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए एक बाधा के रूप में काम नहीं कर सकती है।

46. अंत में, हमारी राय में, सी. पी. सी. की धारा 25 का अर्थ लगाने के लिए एक दृष्टिकोण न्यायोचित, व्यावहारिक, उचित और यथार्थवादी होना चाहिए। धारा 25 का कोई भी अर्थान्वयन जो "न्याय तक पहुँच" में बाधा डालेगा, जिसे मौलिक अधिकार माना जाता है, उसे त्यागना होगा। धारा 25 की एक संकीर्ण व्याख्या, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जैसे किसी समान उच्च न्यायालय द्वारा किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के स्थानांतरण के लिए धारा 24 के तहत एक आवेदन पर विचार को, उन चार राज्यों के बीच, जिनके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, एक भारी बोझ डाल सकता है और पूर्वोत्तर के दूर-दराज के क्षेत्रों के वादकारियों के लिए एक दुर्गम बाधा उत्पन्न हो सकती है, यदि उन्होंने इस आधार पर इस तरह के स्थानांतरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि जिस सिविल न्यायालय में इसे स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है, वह उस राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में है जिसमें वाद स्थापित किया गया है। कानून की व्याख्या जो रिष्टि को दूर करने का प्रयास करती है, जो संविधान के अनुरूप है और संवैधानिक उद्देश्यों को बढ़ावा देती है और जो राष्ट्र की आवश्यकताओं के सुसंगत हैं, उसे अपनाया जाना चाहिए। यदि "न्याय तक पहुँच" को वास्तविक बनाना है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय, संविधान

और कानूनों द्वारा गारंटीकृत लोगों के अधिकारों के सर्वोच्च संरक्षकों/आश्रयदाता की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है, कि वे संहिता की धारा 25 के मूल भाग को एक ऐसी स्थिति में न लाएं जो "न्याय तक पहुँच" को वास्तविक बनाने की पहल को विफल कर दे।

47. श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत दलीलें शेष हैं। कम से कम कहने के लिए हम प्रभावित नहीं हैं। यद्यपि सी.पी.सी. की धारा 22 से 25 स्थानान्तरणों से संबंधित है, धारा 22 और 23 को धारा 22 में विचारित प्रकृति की स्थितियों में एक प्रतिवादी द्वारा आवाह किया जा सकता है, और किसी और द्वारा नहीं, और जिस न्यायालय को इस तरह के आवेदन को स्वीकार करने का अधिकार है, वह न्यायालय है जिसे धारा 23 में संदर्भित किया गया है। धारा 22, हमारे विचार में, मंच संयोजकों के सिद्धांत को लागू करने पर स्थानान्तरण की अनुमति देती है और यह तथ्यों पर और उन परिस्थितियों में लागू नहीं होती है जहां स्थानान्तरण के लिए आवेदन वादी के कहने पर होता है।

निष्कर्ष

48. उपरोक्त चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे का उत्तर इस निष्कर्ष पर दिया जाता है कि:

- (i) सी.पी.सी. की धारा 25 की सही और उचित व्याख्या हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि यह किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के अंतर-राज्य स्थानान्तरण पर लागू होती है, जहां दोनों राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 214 के संदर्भ में एक उच्च न्यायालय है, न कि उस

स्थानांतरण पर जहां दोनों राज्यों के अनुच्छेद 231 के तहत एक समान उच्च न्यायालय है; और

- (ii) सी. पी. सी. की धारा 24 के तहत शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही के अंतर-राज्य स्थानांतरण के लिए भी किया जा सकता है, यदि यह संविधान के अनुच्छेद 211 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय है और दोनों सिविल न्यायालय (अंतरक तथा अंतरिती) इसके अधीनस्थ हैं।

इस निर्णय की शुरुआत में तैयार किए गए प्रश्नों के उत्तर तदनुसार दिए गए हैं।

अनुतोष

49. इस चर्चा का अनुक्रम, सम्मान के साथ, यह है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने चुनौती के तहत निर्णय और आदेश को प्रस्तुत करते हुए एक गलत दृष्टिकोण अपनाया, और इस तरह के दृष्टिकोण को मेघा जैन (उपरोक्त) में भी त्रुटिपूर्ण पाया गया है। आक्षेपित आदेश और व्यवस्था के कानून में अरक्षणीय होने के कारण, तदनुसार, अपास्त कर दिया जाना चाहिए और, सिविल अपील की अनुमति दी जाती है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय अब सी.पी.सी. की धारा 24 के तहत आवेदन पर अपने गुणागुण के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा।

50. उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए, सी. पी. सी. की धारा 25 के तहत स्थानांतरण याचिका को निष्फल हो जाती है; इसलिए, इसे खारिज कर दिया जाता है।

51. हम गुवाहाटी उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि सी.पी.सी. की धारा 24 के तहत आवेदन को उचित प्राथमिकता दी जाए और इसकी सुविधा के अधीन, इसे जल्द से जल्द निपटाया जाए।

52. पक्षकारगण अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अंकित ज्ञान
दी गई।

अपील की अनुमति

(सहायक: आरश चौधरी, एलसीआरए)

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा /समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।